

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों जैसे- कर्मचारियों की ए0सी0पी0, समयमान वेतनमान, स्थायीकरण, 10(2) की नोटिस/ विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही की वर्तमान स्थिति, सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के समस्त भुगतान, मृतक आश्रित की नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एवं अन्य सेवा सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की सूचना/ अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिस पर कमिश्नर महोदया द्वारा समीक्षा की जानी है।

अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त समस्त प्रकरणों की सूचना अधोहस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप में ई-मेल- cta3comhqlu-up@nic.in पर दि0 06-05-2022 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि कमिश्नर महोदया को यथास्थिति से अवगत कराया जा सके।

समस्त प्रकरणों का प्रारूप

| क्रम सं0 | जोन / जनपद | कर्मचारी का नाम / पदनाम | अनिस्तारित प्रकरण का विवरण | निस्तारित न होने का कारण | किस स्तर पर लम्बित |
|----------|------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

msh
05/05/2022

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

1- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।